न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 72/2007

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर		1. प्रीतम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी सिख निवासी मकान नम्बर 77 बदरपुर जेतपुर नई दिल्ली 2. गुरदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी सिख निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. रानी पत्नि गुरदेव सिंह सैनी सिख निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 2/2. पाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह सैनी सिख निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 3. दर्शन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी सिख निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर 4. हरदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी सिख निवासी गली न. 1656/15 नई दिल्ली 5. परमजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह सैनी सिख निवासी गली न. 1656/15 नई दिल्ली 6. रविन्द्र कौर पत्नि प्रीतम सिंह सैनी सिख निवासी 1 जे जे तहसील पदमपुर 7. गुरजीत कौर पत्नि करनैल सिंह पुत्री अर्जन सिंह सैनी सिख निवासी 1 के के तहसील पदमपुर 8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 19.12.2007

उपस्थितः 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादी
2. श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8
3. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/2

--निर्णय--

दिनांक : 27/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 21/15 के मुरब्बा नम्बर 9 की 6.072 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 55 कह 0.253 हैक्टर गैरमुमकिन खाल कुल

27/01/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी गैर मुमकिन खाल भूमि में से बलवन्त सिंह पुत्र मिलखा सिंह के नाम 3.163 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बलवंत सिंह शराब पीने का आदी था। जो आज से 40 वर्ष पूर्व घर छोडकर चला गया था जो आज तक वापिस नहीं लौटा है। न ही हमारे रिश्तेदार से नहीं मिला और न ही उसके जीवित मिलने की कोई संभावना है। वादी व प्रतिवादीगण को इस बात का आभास हो चुका है कि बलवंत सिंह आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व मर चुका है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 बलवंत सिंह के जायज वारिसान होने के कारण बलवंत सिंह के हिस्सा की आराजी प्राप्त करने के हकदार है एंव वादी दावा ला पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की माता जोगेन्द्र कौर की मृत्यू हो चुकी है। तथा बलवंत सिंह की पुत्री शैलेन्द्र कौर की भी मृत्यू हो चुकी है इस कारण प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को शैलेन्द्र कौर के जायज वारिस होने के कारण फरीक मुकदमा बनाया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर में बलवंत सिंह के हिस्सा की आराजी का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने हेतु आज से करीबन 15 रोज पूर्व गये तो श्रीमान तहसीलदार श्रीकरणपुर ने श्रीमान जी के न्यायालय से अधिकारों की घोषणा की डिक्री लाने हेतु आदेश दिया है। इसलिए श्रीमान जी के समक्ष दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी राजस्थान सरकार मे निहित हो चुकी है इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस, पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 21/15 के मुरब्बा नम्बर 9 की 6.072 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 55 कह 0.253 हैक्टर गैरमुमकिन खाल कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी गैर मुमकिन खाल भूमि में से बलवन्त सिंह पुत्र मिलखा सिंह के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर रकबा में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को अलग से 1/8 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार मालिक राजस्व रिकॉर्ड घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया व प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित आए व जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा के अनुसार बलवंत सिंह का 40 वर्ष पूर्व घर छोडकर चले जाना उसके जीवित होने की सम्भावना नहीं होने, अथवा बलवंत सिंह का [illegible] कथन स्वीकार नहीं है। वादीगण ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। [illegible] अवधारणा की जा सके कि बलवंत सिंह विगत 40 वर्षो से [illegible] बलवंत सिंह के जायज वारिसान है, लेकिन बलवंत सिंह [illegible] कर पाने के हकदार नहीं है। विधि अनुसार जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यू हो [illegible] साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके जीवित होने की उपधारणा की जाती है, महज कुछ अवधि के लिए लापता हो जाने से किसी की मृत्यू का कयास नहीं लगाया जा सकता। वादी विवादित आराजी में हिस्सा पाने अथवा दावा ला पाने का अधिकारी नहीं हैं। अतिरिक्त कथन के अनुसार बलवंत सिंह की मृत्यू हो जाना साबित हो जाने अथवा उपधारणा के आधार पर मृत्यू हो जाने की सक्षम अधिकारिता के दिवानी न्यायालय से घोषणा की आज्ञाप्ती प्राप्त किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

27/01/21

बलविन्द्र सिंह बनाम प्रीतम सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,91 आरटीए, प्रकरण संख्या 72/2007

बिना वादी बलंवत सिंह की सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है, वाद बिलाधिकार रूप से पेश किया जाना होने से पोषणीय नहीं है। वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। और वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब को रिकॉर्ड पर लिए गया। जवाब उल जवाब के अनुसार यह कथन गलत है कि बलवंत सिंह की मृत्यू हो जाना हो जाने अथवा उपधारणा के आधार पर मृत्यू हो जाने की सक्षम अधिकारिता के दिवानी न्यायालय से घोषणा की आज्ञाप्ती प्राप्त किए बिना वादी बलंवत सिंह की सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं हो। यह कहना गलत है कि वाद बिलाधिकार रूप से पेश किया जाना होने से पोषणीय नहीं हो। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से है कि मृत्यू की उपधारणा के आधार आज्ञाप्ती घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है राजस्व न्यायालय मामले में राजस्व न्यायालय को पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है। वादपत्र पूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया है। अतः जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी डिक्री सादिर फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6,7,8 के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये

1. आया कि वादी चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 21/15 के कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?
   -जिम्मे वादी-
2. आया कि वादी बलंवत सिंह की मृत्यू हो जाना साबित हो जाने अथवा उपधारणा के आधार पर मृत्यू हो जाने की सक्षम अधिकारिताके दिवानी न्यायालय से घोषणा की आज्ञाप्ति प्राप्त किये बिना वादी बलंवत सिंह की सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है?
   -जिम्मे प्रतिवादीगण-
3. आया कि वाद पोषणीय नहीं है?
   -जिम्मे प्रतिवादीगण-
4. अनुतोष।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 जमाबन्दी स्वंय वादी बलविन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, गवाह कुलदीप सिंह पुत्र तरसेम सिंह, अजीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह एवं प्रीतम सिंह पुत्र बलवंत सिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए, जो सामिल पत्रावली है। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार हैः-

तनकी संख्या 1 : आया कि वादी चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 21/15 के कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादी-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 4 एक्स के खाता संख्या 21/15 मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 ता

27/01/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

25 रकबा 6.072 हैक्टर नहरी एंव मुरब्बा नम्बर 55 रकबा 0.253 हैक्टर गै.मु. खाला कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय गै.मु. खाला भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 प्रदर्श 1 पेश की। साथ में वादी द्वारा साक्ष्यवादी के दौरान स्वय वादी बलविन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र, गवाह कुलदीप सिंह पुत्र तरसेम सिह, अजीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह एंव प्रीतम सिंह पुत्र बलवंत सिंह के साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये । साथ ही वादी ने जवाब उल जवाब भी पेश किया। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बलवंत सिंह वल्द मिलखा सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 3.163 हैक्टर आराजी बतौर खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा अपने वादपत्र तथा साक्ष्य शपथपत्रों में यह कथन किया गया कि वादी तथा प्रतिवादीगण बलंवत सिंह के वारिसान है तथा वादी का पिता बलवंत सिंह करीब 40 वर्ष पूर्व घर छोडकर चला गया था जो आज तक वापिस नहीं लौटा है। इन्ही 40 वर्षो के अर्से से बलवंत सिंह किसी भी रिश्तेदार दोस्त या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को गांव के व इलाके के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है और न ही उसके जीवित मिलने की कोई सम्भावना हैं वादी एवं प्रतिवादीगण को इस बात का आभास हो चुका है कि बलवंत सिंह आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व मर चुका है। अतः इस कारण यह अवधारणा बननी पाई जाती है कि बलवंत सिंह की मृत्यू हो चुकी है। जवाब उल जवाब में वादी ने यह कथन किया कि मृत्यू की उपधारणा के आधार पर अज्ञाप्ती घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा यह नहीं बताया कि बलवंत सिंह की मृत्यू कब हुई है, तथा यदि उसकी मृत्यू हो चुकी है तो वादी द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बलवंत सिंह की मृत्यू हो चुकी है। साथ ही अगर लापता हो गया एंव 40 वर्ष तक घर नहीं लौटा, इस आधार पर मृत्यू मानकर खातदेारी अधिकारों की घोषणा हाजा न्यायालय तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय से बलंवत सिंह की मृत्यू की घोषणा नहीं करवा दे। अतः बलवंत सिंह की मृत्यू के बारे में केवल मात्र वादी द्वारा कथन ही किये गये है न कि कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश किये है। और न ही किसी सक्षम न्यायालय से उसकी मृत्यू की घोषणा करवाई गई है। अतः वादी एंव प्रतिवादीगण को बलंवत सिंह की आराजी का खातेदार घोषित करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी एंव बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि वादी बलंवत सिंह की मृत्यू हो जाना साबित हो जाने अथवा उपधारणा के आधार पर मृत्यू हो जाने की सक्षम अधिकारिताके दिवानी न्यायालय से घोषणा की आज्ञाप्ति प्राप्त किये बिना वादी बलंवत सिंह की सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादी संख्या 1,3ता 8 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अतः इनका जवाब बंद कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया एंव साक्ष्य प्रतिवादी न करवाकर सीधे बहस सुनी गई। जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/2 ने यह कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण बलवंत सिंह के जायज वारिस है, एंव विधि अनुसार जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाना साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके जीवित होने की उपधारणा की जाती है महज कुछ अवधि के लिए लापता हो जाने से किसी की मृत्यू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

बलविन्द्र सिंह बनाम प्रीतम सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,91 आरटीए, प्रकरण संख्या 72/2007

कयास नहीं लगाया जा सकता। दावा बिलाधिकार रूप से पेश किया जाने से पोषणीय नहीं है। काबिल खारिज है। बलवंत सिंह की मृत्यू हो जाने अथवा उपधारणा के आधार पर मृत्यू हो जाने की सक्षम अधिकारिता के दिवानी न्यायालय से घोषणा की आज्ञाप्ती प्राप्त किये बिना वादी बलवंत सिंह की सम्पति मे अपने अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा बलवंत सिंह की मृत्यू के संबध मे केवल मात्र कथन किये गये है बलवंत सिंह की मृत्यू के संबध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय से यह घोषणा नहीं करवाई गई है कि बलवंत सिंह की मृत्यू हो चुकी है अतः इस आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना हाजा न्यायालय द्वारा संभव नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3: आया कि वाद पोषणीय नहीं है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है लेकिन हस्तगत प्रकरण में बलवंत सिंह की मृत्यू का कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही सक्षम न्यायालय से मृत्यू की घोषणा करवाई गई है इस संबध में हमारा यह अभिमत है कि जैसे ही सक्षम न्यायालय से बलवंत सिंह की मृत्यू की घोषणा करवा दी जाती है या मृत्यू का कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश किया जाता है तो साक्ष्य उपरांत राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावाधानों के अनुसार वाद हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

4.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकीयात वादी के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को कोई अन्य अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा चक 4 एक्स पटवार हल्का 2 एक्स जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 21/15 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.072 हैक्टर नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 55 के 0.253 हैक्टर गैरमुमकिन खाल अर्थात कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाल में से बलवन्त सिंह के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर आराजी वादी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज /अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27/01/21..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर